कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर

कमांकः–एफ.(47)ई–मेल / उवस / सू.प्रौ. / ई–जी / 2018–19 / 2419 दिनांकः 24-12-2018

परिपत्र

इस कार्यालय के सम परिपत्र क्रमांक 3251–3380 दिनांक 8 जून 2015 से राजकीय कार्यो की सूचना आदान प्रदान हेतु राजकीय ई–मेल (@rajasthan.gov.in) का उपयोग करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

राजकीय ई–मेल के उपयोग के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती हैः–

1. राजकीय ई–मेल एड्रेस को उसी प्रकार मानी जानी चाहिये जिस प्रकार संबंधित कार्यालय / अधिकारी का पोस्टल एड्रेस होता है।
2. राजकीय ई–मेल से भेजी सूचना संबंधित अधिकारी / कार्यालय को प्राप्त हुयी मानी जानी चाहिये जिस प्रकार रजिस्टर्ड डाक प्राप्त होती है। जब तक कि प्रेषित करने वाले कार्यालय / अधिकारी को Undelivered प्राप्त नही होती है।
3. राजकीय ई–मेल को खोलकर नहीं पढना उसी प्रकार मानना चाहिये जिस प्रकार डाक से प्राप्त लिफाफे को नहीं खोलना एवं नहीं पढना।
4. अधिकारी की SSO ID की ईमेल प्राप्त मेल को अर्धशासकीय पत्र के रूप में मानी जानी चाहिये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी राजकार्य हेतु राजकीय ई–मेल (@rajasthan.gov.in) का उपयोग करे। इस से श्रम एवं समय की बचत के साथ–साथ कार्य त्वरित गति से संपन्न होता है।

(सी.एस. रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ.(47)ई–मेल / उवस / सू.प्रौ. / ई–जी / 2016–17 / दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. समस्त वनाधिकारी, राजस्थान।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर।